

OR

15/4/25 पत्रावली आज पेश हुई। आर्षी व इनके वकील अनुपस्थित। मूल वाद का निस्तारण हो चुका है। मूल वाद का निस्तारण होने से आर्षना पत्र अलग से चलाये जाने का कोई कोचिय नही होने से मूल वाद के साथ-साथ आर्षना पत्र इसी तरह पर खारिज किया जाता है। पत्रावली केवल शुमार होकर साबित इफ्तार हो एवम नम्बर से कम्य हो।

